



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00216

दर्ज तिथि:-19.08.2019

1. हरीराम पुत्र रिडमलराम
2. हनुमानराम पुत्र शोभाराम
3. नवलाराम पुत्र सुजाराम
4. रामाराम पुत्र सुजाराम

जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. हीराराम पुत्र लाखाराम फौत के कायम मुकाम :-
  - 1/1 रूपोदेवी पुत्री हीराराम पत्नि किसनाराम निवासी छोटू तहसील नोखड़ा
  - 1/2 कमला पुत्री हीराराम पत्नि मानाराम निवासी रोहिला तहसील धोरीमन्ना
  - 1/3 जगदीश पुत्र हीराराम निवासी बारासण
  - 1/4 धोली पुत्री हीराराम पत्नी मोहन निवासी झोटडा तहसील सांचौर
  - 1/5 झमुदेवी पत्नी हीराराम निवासी बारासण
2. बाबू पुत्र लाखाराम
3. भागीरथ पुत्र लाखाराम
4. हीराराम गोदपुत्र तेजाराम
5. भारमलराम पुत्र वरीगाराम
6. मोहन पुत्र वरीगाराम
7. शंकराराम पुत्र वरीगाराम
8. किशनाराम पुत्र करनाराम
9. रूगनाथराम पुत्र करनाराम
10. तुलछीदेवी पत्नी करनाराम

जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

11. शाखा प्रबन्धक एसबी.बी.जे. (एस.बी.आई.) शाखा गुडामालानी
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर



13. इन्द्रा पत्नी जैसाराम जाति रबारी निवसी जीवाणियों की ढाणी

14. मालाराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री गंगाराम चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री जगदीश विश्नोई।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त. अधिनियम-1955

**---निर्णय:--**

निर्णय तिथि:- 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 612/19.8458 हैक्टेयर वाकै बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद

पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन-वकालतन उपस्थित हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा सहमति देते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भूअ./2024/89 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 612/19.8458 हैक्टेयर वाकै बारासण तहसील गुढामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है।

उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब

खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत  
तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार

किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 612/19.8458 हैक्टेयर वाकै बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
हरीराम पुत्र रिडमलराम जाति विशुनोई सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुडामालानी	पूर्ण	612	0.0971	बा.दो.
		612	1.7685	बा.दो.
किता 02 रकबा 1.8656 हैक्टेयर				
हनुमानराम पुत्र शोभाराम जाति विशुनोई सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुडामालानी	पूर्ण	612	0.3723	बा.दो.
		612	1.4933	बा.दो.
किता 02 रकबा 1.8656 हैक्टेयर				
नवलाराम पुत्र सूजाराम	1/2			
रामाराम पुत्र सूजाराम जाति विशुनोई सा. राणासर खुर्द खातेदार	1/2	612	2.7305	बा.दो.

किता 01 रकबा 2.7305 हैक्टेयर				
हरीराम पुत्र रिडमलराम	1/4			
हनुमानराम पुत्र शोभाराम	1/4			
नवलाराम पुत्र सूजाराम	1/4			
रामाराम पुत्र सूजाराम जाति विश्वनोई सा. देह एवं राणासर खुर्द (सार्वजनिक रास्ता प्रयोजनार्थ)	1/4	612	0.0810	गे.मु. रास्ता
किता 01 रकबा 0.0810 हैक्टेयर				
मालाराम पुत्र चौखाराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	पूर्ण	612	0.0405	बा.दो.
किता 01 रकबा 0.0405 हैक्टेयर				
भारमल पुत्र वरिगा जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुढामालानी	पूर्ण	612	0.9367	बा.दो.
किता 01 रकबा 0.9367 हैक्टेयर				
मोहन पुत्र वरिगा जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	पूर्ण	612	0.9205	बा.दो.
		612	0.0162	
किता 02 रकबा 0.9367 हैक्टेयर				
शंकरा पुत्र वरिगा जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	पूर्ण	612	0.0162	बा.दो.
		612	0.9205	
किता 02 रकबा 0.9367 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र करनाराम	309/955	612	2.7695	बा.दो.
रुगनाथराम पुत्र करनाराम	323/955			

तुलछी पत्नी करनाराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	323 / 955			
किता 01 रकबा 2.7695 हैक्टेयर				
बाबू पुत्र लाखा	20186 / 66147			
भागीरथ पुत्र लाखा	7806 / 22049			
जगदीश पुत्र हीराराम	11584 / 66147			
झमूदेवी पत्नी हीराराम	1287 / 22049			
धोली पुत्री हीराराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	1287 / 22049	612	0.3237	बा.दो.
इन्द्रा पत्नी जैसाराम जाति रबारी सा. जीवाणियों की ढाणी खातेदार रहन-बाबू व भागीरथ का हि. SBBJ गुढामालानी, रहन- जगदीश झमूदेवी का हिस्सा SBI शाखा गुढामालानी	1079 / 22049	612	6.2910	बा.दो.
किता 02 रकबा 6.6147 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र करनाराम	62 / 809			
रुगनाथराम पुत्र करनाराम	62 / 809			
तुलछी पत्नी कराराम	62 / 809			
भारमल पुत्र वरिंगा	62 / 809	612	0.0809	बा.दो.
मोहन पुत्र वरिंगा	62 / 809			
शंकरा पुत्र वरिंगा	62 / 809			
बाबू पुत्र लाखा	153 / 809			

भागीरथ पुत्र लाखा	155 / 809			
जगदीश पुत्र हीराराम	77 / 809			
झमूदेवी पत्नी हीराराम	26 / 809			
धोली पुत्री हीराराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	26 / 809			
किता 01 रकबा 0.0809 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र करनाराम	247 / 4937			
रूगनाथराम पुत्र करनाराम	247 / 4937			
तुलछी पत्नी करनाराम	247 / 4937			
भारमल पुत्र वरिंगा	247 / 4937			
मोहन पुत्र वरिंगा	247 / 4937			
शंकरा पुत्र वरिंगा	247 / 4937			
बाबू पुत्र लाखा	1233 / 9874			
भागीरथ पुत्र लाखा	1234 / 9874			
जगदीश पुत्र हीराराम	611 / 9874	612	0.6637	गे.मु. नहर
झमूदेवी पत्नी हीराराम	204 / 9874	612	0.3237	गे.मु. सडक
धोली पुत्री हीराराम	204 / 9874			
नवलाराम पुत्र सूजाराम	725 / 9874			
रामाराम पुत्र सूजाराम सा. राणासर खुर्द	725 / 9874			
हनुमानराम पुत्र शोभाराम	987 / 9874			
हरीराम पुत्र रिडमलराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार (सार्वजनिक नहर व सडक	987 / 9874			

प्रयोजनार्थ)				
किता 02 रकबा 0.9874 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाडमेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00216

दर्ज तिथि:-19.08.2019

1. हरीराम पुत्र रिडमलराम
2. हनुमानराम पुत्र शोभाराम
3. नवलाराम पुत्र सुजाराम
4. रामाराम पुत्र सुजाराम

जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. हीराराम पुत्र लाखाराम फौत के कायम मुकाम :-
  - 1/1 रूपोदेवी पुत्री हीराराम पत्नि किसनाराम निवासी छोटू तहसील नोखड़ा
  - 1/2 कमला पुत्री हीराराम पत्नि मानाराम निवासी रोहिला तहसील धोरीमन्ना
  - 1/3 जगदीश पुत्र हीराराम निवासी बारासण
  - 1/4 धोली पुत्री हीराराम पत्नी मोहन निवासी झोटडा तहसील सांचौर
  - 1/5 झमुदेवी पत्नी हीराराम निवासी बारासण
2. बाबू पुत्र लाखाराम
3. भागीरथ पुत्र लाखाराम
4. हीराराम गोदपुत्र तेजाराम
5. भारमलराम पुत्र वरीगाराम
6. मोहन पुत्र वरीगाराम
7. शंकराराम पुत्र वरीगाराम
8. किशनाराम पुत्र करनाराम
9. रूगनाथराम पुत्र करनाराम
10. तुलछीदेवी पत्नी करनाराम

जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

11. शाखा प्रबन्धक एसबी.बी.जे. (एस.बी.आई.) शाखा गुडामालानी
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

13. इन्द्रा पत्नी जैसाराम जाति रबारी निवसी जीवाणियों की ढाणी

14. मालाराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री गंगाराम चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री जगदीश विश्नोई।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त. अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-

निर्णय तिथि:- 12.08.2024

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत

तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार

किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा

संख्या 612/19.8458 हैक्टेयर वाकै बारासण

तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक

कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित

तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है।

पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता

कायम करते हुए अलग-अलग खाता

प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश

तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
हरीराम पुत्र रिडमलराम जाति	पूर्ण	612	0.0971	बा.दो.

विश्वनोई सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुढामालानी		612	1.7685	बा.दो.
किता 02 रकबा 1.8656 हैक्टेयर				
हनुमानराम पुत्र शोभाराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुढामालानी	पूर्ण	612	0.3723	बा.दो.
		612	1.4933	बा.दो.
किता 02 रकबा 1.8656 हैक्टेयर				
नवलाराम पुत्र सूजाराम	1/2			
रामाराम पुत्र सूजाराम जाति विश्वनोई सा. राणासर खुर्द खातेदार	1/2	612	2.7305	बा.दो.
किता 01 रकबा 2.7305 हैक्टेयर				
हरीराम पुत्र रिडमलराम	1/4			
हनुमानराम पुत्र शोभाराम	1/4			
नवलाराम पुत्र सूजाराम	1/4			
रामाराम पुत्र सूजाराम जाति विश्वनोई सा. देह एवं राणासर खुर्द (सार्वजनिक रास्ता प्रयोजनार्थ)	1/4	612	0.0810	गे.मु. रास्ता
किता 01 रकबा 0.0810 हैक्टेयर				
मालाराम पुत्र चौखाराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	पूर्ण	612	0.0405	बा.दो.
किता 01 रकबा 0.0405 हैक्टेयर				

भारमल पुत्र वरिंगा जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुढामालानी	पूर्ण	612	0.9367	बा.दो.
किता 01 रकबा 0.9367 हैक्टेयर				
मोहन पुत्र वरिंगा जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	पूर्ण	612	0.9205	बा.दो.
		612	0.0162	
किता 02 रकबा 0.9367 हैक्टेयर				
शंकरा पुत्र वरिंगा जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	पूर्ण	612	0.0162	बा.दो.
		612	0.9205	
किता 02 रकबा 0.9367 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र करनाराम	309 / 955	612	2.7695	बा.दो.
रुगनाथराम पुत्र करनाराम	323 / 955			
तुलछी पत्नी करनाराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	323 / 955			
किता 01 रकबा 2.7695 हैक्टेयर				
बाबू पुत्र लाखा	20186 / 66147	612	0.3237	बा.दो.
भागीरथ पुत्र लाखा	7806 / 22049			
जगदीश पुत्र हीराराम	11584 / 66147			
झमूदेवी पत्नी हीराराम	1287 / 22049			
धोली पुत्री हीराराम जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	1287 / 22049			
इन्द्रा पत्नी जैसाराम जाति रबारी सा. जीवाणियों की ढाणी खातेदार रहन-बाबू व	1079 / 22049	612	6.2910	बा.दो.

भागीरथ का हि. SBBJ गुढामालानी, रहन- जगदीश झमूदेवी का हिस्सा SBI शाखा गुढामालानी				
किता 02 रकबा 6.6147 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र करनाराम	62 / 809	612	0.0809	बा.दो.
रुगनाथराम पुत्र करनाराम	62 / 809			
तुलछी पत्नी कराराम	62 / 809			
भारमल पुत्र वरिंगा	62 / 809			
मोहन पुत्र वरिंगा	62 / 809			
शंकरा पुत्र वरिंगा	62 / 809			
बाबू पुत्र लाखा	153 / 809			
भागीरथ पुत्र लाखा	155 / 809			
जगदीश पुत्र हीराराम	77 / 809			
झमूदेवी पत्नी हीराराम	26 / 809			
धोली पुत्री हीराराम जाति विशुनोई सा. देह खातेदार	26 / 809			
किता 01 रकबा 0.0809 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र करनाराम	247 / 4937	612	0.6637	गे.मु. नहर
रुगनाथराम पुत्र करनाराम	247 / 4937			
तुलछी पत्नी करनाराम	247 / 4937			
भारमल पुत्र वरिंगा	247 / 4937			
मोहन पुत्र वरिंगा	247 / 4937			
शंकरा पुत्र वरिंगा	247 / 4937			
		612	0.3237	गे.मु. सडक

बाबू पुत्र लाखा	1233 / 9874			
भागीरथ पुत्र लाखा	1234 / 9874			
जगदीश पुत्र हीराराम	611 / 9874			
झमूदेवी पत्नी हीराराम	204 / 9874			
धोली पुत्री हीराराम	204 / 9874			
नवलाराम पुत्र सूजाराम	725 / 9874			
रामाराम पुत्र सूजाराम सा. राणासर खुर्द	725 / 9874			
हनुमानराम पुत्र शोभाराम	987 / 9874			
हरीराम पुत्र रिडमलराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार (सार्वजनिक नहर व सड़क प्रयोजनार्थ)	987 / 9874			
किता 02 रकबा 0.9874 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। अहकाम जारी हो।

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाडमेर

